कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, नरेन्द्रनगर वन प्रभाग, मुनिकीरेती

E-mail: dfonnagar-forest-uk@nic.in Telefax- 0135-2442052

पत्रांक सं0: 2827 / 12–1 दिनांक 15 / 03 /2021

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड लोक निर्माण विभाग,
चम्बा टिहरी गढवाल।

विषय:- मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या–672/2012 के अन्तर्गत जनपद–टिहरी गढवाल के विधानसभा क्षेत्र टिहरी में चम्बा मसूरी मोटर मार्ग केकाणाताल से अंधियार गढ़ी सनगांव तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.520 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में प्रस्ताव संख्या–FP/UK/ROAD/32834/2018

सन्दर्भ:- आपका पत्रांक–474/13एम0जी0 दिनांक 01–03–2021 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के माध्यम से भारत सरकार द्वारा विषयक मोटर मार्ग की सैद्धान्तिक स्वीकृति अधिरोपित शर्तो के अधीन जारी की गयी है, उल्लेखित शर्तो के क्रम में आपके द्वारा निम्नानुसार अनुपालन किया जाना है।

1- शर्त संख्या–01 के अनुपालना में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन भूमि की विधिक परिस्थिति में कोई बदलाव नही किया जायेगा इस आशय का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा।

2- शर्त संख्या–02 के अनुपालना में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस आशय का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा कि परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि वन विभाग को सौंपे जाने के पश्चात ही वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपी जायेगी।

3- शर्त संख्या–03 (क) के अनुपालन में प्रस्तावक विभाग के व्यय पर 5.18 हे0 ग्राम–सौंड मध्य नगेड, सिविल की खसरा संख्या–1406, 1484, 1301, 1306, 1326, 36, 39, 77, 150, 216, 219 एवं 223 सिविल सोंयम भूमि में प्रतिपूरक वनीकरण एवं 10 वर्षो तक रख–रखाव हेतु मु0 16,99,407.00 धनराशि जमा करनी होगी। जहाँ तक व्यवहारिक हो, स्थानीय/स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाये तथा प्रजातियों की एकल प्लांटेशन से बचें। दर का निर्धारण प्रमुख वन संरक्षक उत्तराखण्ड के पत्र संख्या–क–972/3-5-2(II) दिनांक 21–11–2017 के अनुसार निर्धारित किया गया है।

वसूली वर्ष 2020–21 हेतु क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रख–रखाव हेतु धनराशि का विवरण –

क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु दोगुनी भूमि –	2.520 X 2 5.04 हे0
क्षतिपूरक वृक्षारोपण की दर प्रति हे0 –	3,37,184.00 प्रति हे0
क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु धनराशि –	5.04 X 3,37,184.00 16,99,407.36
	या 16,99,407.00

शर्त संख्या–03 (ख) गैर वानिकी भूमि को राज्य वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित एवं रूपांतरित किया जायेगा। भूमि हस्तान्तरण, नामान्तरण एवं नोटिफिकेशन करने के पश्चात ही भारत सरकार द्वारा विधिवत् स्वीकृति प्रदान की जायेगी। गाईड लाइन पैरा 2.4 (i) के अनुसार ऐसे क्षेत्र जो वन विभाग के स्वामित्व से बाहर है एवं प्रतिपूरक वनीकरण हेतु विभिन्न प्रस्तावों में प्रस्तुत किये गये है को वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने

के पश्चात भारतीय वन अधिनियम, 1927 के अन्तर्गत विधिवत् स्वीकृति से पूर्व आरक्षित/संरक्षित वन घोषित करवाने सम्बन्धी प्रक्रिया पूर्ण की जायेगी इस आशय का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जाना होगा।

शर्त संख्या–03 (ग) के क्रम में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सम्बन्धित राजि अधिकारी से इस आशय का प्रमाण–पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा कि उक्त सी0ए0 क्षेत्र पर पूर्व में किसी भी अन्य योजना के तहत वृक्षारोपण कार्य नही किया गया है।

शर्त संख्या–03 (घ) के क्रम में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सम्बन्धित राजि अधिकारी से इस आशय का प्रमाण–पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा कि रोपण के समय वृक्षारोपण क्षेत्र में कम से कम पचास प्रतिशत 'ओक' प्रजाति के पौधों का रोपण किया जायेगा।

4- शर्त संख्या–04 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रतिपूरक वनीककरण की भूमि पर, यदि आवश्यक हो तो, प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण , सीमांकन और स्तंभन की लागत परियोजना प्राधिकरण द्वारा अग्रिम रूप से वन विभाग के पास जाम की जायेगी प्रतिपूरक वनीकरण 10 वर्षो तक अनुरक्षित किया जायेगा इस योजना में भविष्य में निर्धारित कार्यो के लिये प्रत्याशित लागत वृद्वि हेतु उपयुक्त प्राविधान शामिल किये जा सकते है। इस आशय का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किया जायेगा।

5- शर्त संख्या–05 (क) के अनुपालन में एन0पी0बी0 के रूप में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा 2.52 हे0 हेतु @ 8,45,000.00 प्रति हे0 की दर से मु0 21,29,400.00 धनराशि जमा करनी होगी। एन0पी0वी0 की मांग का विस्तृत विवरण निम्न प्रकार है :–

एन0पी0वी0 की धनराशि का आंकलन

"प्रमाणित किया जाता है कि भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय नई दिल्ली के आदेश संख्या–5–3/2007–एफ0सी0 दिनांक 05–02–2009 मे उल्लेखित व्यवस्था के अनुसार आबंटित वन भूमि हेतु एन0पी0पी0 की देयता निम्नानुसार है" :–

इको–क्लास श्रेणी–	V
हरियाली का घनत्व–	0.40 MDF
एन0पी0वी की दर प्रति हे0–	मु0 8,45,000.00 (आठ लाख पैंतालीस हजार रूपये मात्र)
आवेदित वन भूमि का क्षेत्रफल–	2.52 हे0
कुल देय एन0पी0वी0 की धनराशि–	2.52 हे0 X 8,45,000.00 21,29,400.00

शर्त संख्या– 05 (ख) के अनुपालन में प्रयोक्ता द्वारा इस आशय का वचनबद्वता का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करेगें कि सक्षम स्तर से यदि एन0पी0बी0 की दर में बढ़ोत्तरी होती है तो बढ़ी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी।

6- शर्त संख्या–06 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेड़ो की कटाई को न्यूनतम रखेगा एवं प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या–प्रस्ताव के अनुसार 605 वृक्ष एवं 116 Saplings से अधिक नही होगी एवं पेड़ राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेंगे। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ो की कटाई की लागत जमा की जायेगी। तत्सम्बन्धी प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किया जायेगा।

7- शर्त संख्या–07 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा एन0पी0वी0, क्षतिपूरक वृक्षायरोपण एवं अन्य धनराशि क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबन्धन और योजना प्राधिकरण फंड में हस्तान्तरित/जमा की जाने वाली धनराशि केवल ई–पोर्टल (https://parivesh-nic-in/) के माध्यम से ही मान्य होगी।

8- शर्त संख्या–08 के अनुपालन में User Agency will infrom to this office if they pass any order for tree cutting and commencement of work before stage-II approval as per guidelines para 11.2. The State Govt. will strictly monitor and ensure that no further activity is carried out under such permission after the expiry of one year from date of issue of such permission.

9- शर्त संख्या–09 के अनुपालन एफ0आर0ए0 2006 का पूर्ण अनुपालन सम्बन्धित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण–पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जायेगा।

10- शर्त संख्या–10 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस आशय का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किया जायेगा कि आर0ई0सी0 मानदंडों के अनुसार सड़क के दोनों किनारों एवं उसके बीचों बीच पौधो की संख्या बढाया जायेगा।

11- शर्त संख्या–11 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा संरक्षित क्षेत्रों/वन क्षेत्रों में निश्चित दूरी पर सड़क के साथ गति विनियमन साईनेज लगाये जायेगें इस आशय का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किया जायेगा।

12- शर्त संख्या–12 के अनुपालन में यदि लागू हो तो प्रयोक्ता अभिकरण पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्राविधानों के अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करनी होगी। तथा इस आशय का प्रमाण–पत्र भी प्रस्तुत करना होगा।

13- शर्त संख्या–13 के अनुपालन में केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले–आउट प्लान नही बदला जायेगा इस आशय का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा।

14- शर्त संख्या–14 के अनुपालन प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वन क्षेत्र के आस–पास मजदूरों/स्टॉफ के लिये किसी भी प्रकार का लेबर कैम्प नही लगाया जायेगा तत्सम्बन्धी प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जायेगा।

15- बिन्दु संख्या–15 के अनुपालना प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस आशय का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा की निर्माण काल के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों को राज्यीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी श्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषत: वैकल्पिक ईंधन दिया जायेगा। जिससे निकटवर्ती वनों को क्षति न पहुँचे।

16- बिन्दु संख्या–16 के अनुपालना प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के सीमांकन का प्रभागीय वनाधिकारी की देख–रेख में दिये गये निर्देशानुसार परियोजना की लगत पर किया जायेगा। तत्सम्बन्धी प्रमाण–पत्र इस कार्यालय को प्रस्तुत करना होगा।

17- शर्त संख्या–17 के अनुपालन में परियोजना कार्य के निष्पादन के लिये निर्माण सामग्री के परिवहन के लिये वन क्षेत्र के अन्दर कोई अतिरिक्ति या नया मार्ग नहीं बनाया जायेगा।

18- शर्त संख्या–18 के अनुपलान में वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नही किया जायेगा। इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

19- शर्त संख्या–19 के अनुपालन में केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेन्सियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तान्तरित नही की जायेगी। इस आशय का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा।

20- बिन्दु संख्या–20 के अनुपालना में यदि इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन संरक्षण अधिनियम, 1980 का उल्लंघन होगा एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशा निर्देश फाईल संख्या–11–42/2017/एफ0सी0 दिनांक 29–01–2018 के अनुसार उस पर कार्यवाही होगी।

21- बिन्दु संख्या–21 के अनुपालन में इस आशय का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा कि यदि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय–समय पर अन्य शर्त लागू की जाती है जो प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उनका भी पालन किया जायेगा।

22- शर्त संख्या–22 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस आशय का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा कि परियोजना निर्माण के दौरान पूर्वविर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरें। वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पौधे लगाकर मलवा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पुनर्जीवित करने का कार्य करेगा। मलवे को यथा स्थान रखने हेतु दीवारें बनाई जायेगी। निस्तारण स्थलों को वन विभाग को सौंपने से पूर्व इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयबद्व तरीके से पूरा किया जायेगा। तथा मलवा निस्तारण क्षेत्र में वृक्षों की कटाई नही की जायेगी।

23- शर्त संख्या–23 के अनुपालन में प्रयोक्ता यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/ न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते है तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना प्रयोक्ता एजेंसी की जिम्मेवारी होगी तथा इस आशय का प्रमाण–पत्र भी प्रस्तुत करना होगा।

24- बिन्दु संख्या–24 के अनुपलान में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सैद्वान्तिक स्वीकृति की अनुपालन रिपोर्ट ई–पोर्टल (https://parivesh-nic-in/) पर भी अपलोड की जानी होगी।

प्रभागीय वनाधिकारी,
नरेन्द्रनगर वन प्रभाग, मुनिकीरेती।

संख्याः– / दिनांकित

प्रतिलिपि :– राजि अधिकारी सकलाना राजि को इस निर्देश के साथ कि वन विभाग से सम्बन्धित बिन्दुओं के निराकरण हेतु प्रस्तावक विभाग को अपेक्षित सहयोग प्रदान करते हुयें सभी शर्तो की अनुपालना पूर्ण करवाना सुनिश्चित करें।

प्रभागीय वनाधिकारी,
नरेन्द्रनगर वन प्रभाग, मुनिकीरेती।